न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 66/2021

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. कर्म सिंह पुत्र गंगा सिंह उम्र 88 वर्ष निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर हाल निवासी **BIK343UBI Avenue 1#1127 Singapore 400343** जरिये मुख्तयारे आम सतनाम सिंह बराड़ पुत्र बलविन्द्र सिंह बराड़ आयु 29 वर्ष जाति जटसिख निवासी गांव 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. हरदेव सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति जटसिख निवासी केयर ऑफ कलवन्त सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 26.07.2021

उपस्थितः1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादी

दिनांकः16/08/2023

——निर्णय——

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2063 ता 2066 के खाता संख्या 8/6 के मु0नं0 1 के किला नं0 17/1 के 0.037 है0, किला नं0 17/2 के 0.037 है0, किला नं0 22 के 0.076 है0, किला नं0 23 के 0.202 है0, किला नं0 24 के 0.253 है0, किला नं0 25/1 के 0.013 है0, कुल 0.618 है0 नहरी भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गंगा सिंह पुत्र चेत सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त 0.618 है0 नहरी भूमि शुरू से ही वादी के हिस्सा में आई हुई है, जिस पर वादी आज तक लगातार शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त 0.618 है0 भूमि के अलावा वादी के पिता मृतक गंगा सिंह पुत्र चेत सिंह के नाम तहसील श्रीकरनपुर के चक 2 एफ एफ के मु0नं0 4 व मु0नं0 59 की कुल 5.705 है0 नहरी मय खाला भूमि भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। उक्त 5.705 है0 नहरी मय खाला भूमि भी वादी के हिस्सा में आई हुई है, जिस पर वादी आजतक लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी का हक व हिस्सा पूरा करने के लिए व वादी के कब्जा व हिस्सा की मु0नं0 1 की 0.618 है0 भूमि व मु0नं0 4 व 59 की 5.705 है0 नहरी मय खाला भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने के लिए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गंगा सिंह ने अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.03.1975 को वादी के पक्ष में पंजीबद्ध करवाई। गंगा सिंह की मृत्यु के पश्चात् [illegible] के मु0नं0 4 व 59 की कुल 5.705 है0 नहरी मय खाला भूमि गं[illegible] वारिसान वादी व वादी के भाईयों के नाम विरासतन दर्ज [illegible] हिस्सा पूरा करने के लिए गंगा सिंह के वारिसान (वादी के भाईयो) ने [illegible] पंजीकृत दस्तबरदारी दिनाकिंत 19.08.1998 की रूह से उक्त मु0नं0 4 व 59 की कुल 5.705 है0 नहरी मय खाला भूमि वादी के नाम दर्ज करवा दी, जिसका इन्तकाल [illegible] वादी के नाम से दर्ज हो गया। पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 19.08.1998 में गंगा सिंह के वारिसान (वादी के भाईयों) ने उक्त 5.705 है0 नहरी मय खाला भूमि वादी के हिस्सा की होने एवं वादी का शुरू से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होना माना है। गंगा सिंह के अन्य वारिसान ने उक्त 5.705 है0 नहरी मय खाला भूमि वादी के हिस्सा व कब्जा की भूमि होना स्वीकार व अंगीकार करते हुए ही पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 19.08.1998 की रूह से उक्त 5.705 है0 नहरी मय खाला भूमि वादी के नाम करवाई है। वादी विदेश में रह रहा है इसी बात का अनुचित फायदा उठाते हुए वादी के भाई गुरमुख सिंह ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
अधिकारी (राजस्व)

5.705 है0 भूमि बिना किसी अधिकार के व बिना किसी दस्तावेज के फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली, जिसे निरस्त करवाने के लिए वादी ने श्रीमान जी के न्यायालय में दावा अनवानी कर्म सिंह बनाम गुरमुख सिंह आदि पेश किया हुआ है जो कि लम्बित है, जिसमें उक्त 5.705 है0 नहरी मय खाला भूमि बाबत् श्रीमान् जी के न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में स्थगन आदेश भी जारी किया गया हुआ है, जो कि जैरकार है। वसीयत दिनांक 06.03.1975 में दर्ज तहसील श्रीकरणपुर के चक 2 एफ एफ के मु0नं0 1 के किला नं0 17/1 के 0.037 है0, किला नं0 17/2 के 0.037 है0, किला नं0 22 के 0.076 है0, किला नं0 23 के 0.202 है0, किला नं0 24 के 0.253 है0, किला नं0 25/1 के 0 013 है0, कुल 0.618 है0 नहरी भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज नही किया गया इसलिए उक्त चक 2 एफ एफ के मु0 नं0 1 की 0.618 है0 नहरी (वादगत भूमि) गंगा सिंह के नाम ही दर्ज रही। गंगा सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने जीवनकाल में उक्त 0.618 है0 भूमि की पंजीकृत वसीयत दिनांक 06.03.1975 वादी के पक्ष में पंजीबद्ध करवाई थी, तत्पश्चात् गंगा सिंह ने उक्त 0.618 है0 नहरी भूमि की एक पंजीकृत वसीयत दिनाक 18 06.1981 को वादी के पक्ष पुनः निष्पादित करवाई। वसीयत दिनांक 18.06.1981 मे गंगा सिंह ने स्पष्ट दर्ज करवाया कि "यह मेरी आखिरी वसीयत है और मैने इससे पहले कोई वसीयत की हो तो उसे कैसिंल करार देता हूं और इसे अपनी आखिरी वसीयत करार देता हूं, यह वसीयतनामा अपनी राजी खुशी व रजामंदी से व बिना किसी नशे वगैरा के बिना किसी दबाव के राजीखुशी लिख दी है।" इस प्रकार से गंगा सिंह ने अपनी इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए अपने जीवनकाल मे उक्त 0.618 है नहरी भूमि की दो बार पंजीकृत वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित करवाई। वादी के पिता गंगा सिंह की माह फरवरी 1982 में मृत्यु हो गई, लेकिन वादी विदेश में होने के कारण अन्तिम वसीयत दिनांक 18.06.1981 का वसीयतन इन्तकाल अपने नाम से दर्ज न करवा सका, इसी बात का अनुचित फायदा उठाते हुए प्रतिवादी सख्या 1 हरदेव सिंह ने गंगा सिंह की मृत्यु के पश्चात् गंगा सिंह के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर करके पिछली तारीखों में फर्जी वसीयत तैयार करवाकर वादगत भूमि 0.618 है0 का वसीयत इन्तकाल सख्या 184 दिनांक 19.07. 2007 को अपने पक्ष में विधि विरूद्व तरीके से दर्ज करवा लिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 हरदेव सिंह यह भली भांति जानता था कि गंगा सिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त 0. 618 है0 नहरी भूमि की एक नही बल्कि दो–दो पंजीकृत वसीयतें वादी के पक्ष में निष्पादित करवाई हुई है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने जान बुझकर बदनियती से वादी की भूमि हडप करने की नियत से वसीयत दिनांक 25.11.1979 पिछली तारीखों में फर्जी व कूटरचित तैयार करवाकर इंतकाल संख्या 184 दिनांक 19.07.2007 विधि विरूद्व तरीके से अपने नाम दर्ज करवा लिया। वसीयत दिनांक 25.11.1979 देखने पर प्रथम दृष्टया ही गंगा सिंह के हस्ताक्षर फर्जी प्रतीत होते है, इसके अलावा उक्त वसीयत ना तो किसी स्टाम्प पर तहरीर करवाई गई है और ना ही उक्त वसीयत पर तहरीर कुनिन्दा के हस्ताक्षर व मोहर दर्ज है और ना ही वसीयत दिनांक 25.11.1979 के तहरीर कुनिन्दा के रजिस्टर क्रमांक अंकित है, ना ही उक्त वसीयत पंजीकृत है। उक्त वसीयत पर किसी ऑथ कमीश्नर के हस्ताक्षर व मोहर दशाई गई है। ऑथ कमीश्नर का नाम व पहचान दर्ज नहीं है और ना ही ऑथ कमीश्नर के रजिस्टर का क्रमांक अंकित है और ना ही उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक से तहरीरशुदा है। उक्त वसीयत का इन्तकाल दिनांक 19. 07.2007 को करीब 29 वर्ष बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने करवाया [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वसीयत क्यों छिपाकर रखा जाना अत्[illegible] संदेहास्पद है। इसके अलावा मुख्य कानूनी बिन्दू यह है कि उक्त वसीयत दिनांक 25.11.1979 यदि सही भी हो तो अन्तिम वसीयत दिनांक 18.06.1981 [illegible] से पूर्व की सभी वसीयते कैंसिंल करके उक्त 0.618 [illegible] वसीयत दिनांक 18.06. 1981 वादी के पक्ष में पंजीकृत कर निष्पादित करवा दी। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा तैयार की गई वसीयत दिनांक 25.11.1979 स्वतः ही कैंसिंल हो चुकी हैं इसलिए शून्य वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया इन्तकाल संख्या 184 दिनांक 19.07.2007 स्वतः ही शून्य व विधि विरूद्व है ओर काबिले खारिजी के है। कानूनन व्यक्ति की सम्पति उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी इच्छा/वसीयत के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

न्यायगत होती है। जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में प्रतिपादित किया है कि किसी व्यक्ति की सम्पति उसकी अन्तिम इच्छा/वसीयत के आधार पर ही न्यायगत होगी। इस प्रकार से अन्तिम वसीयत दिनांक 18.06.1981 की रूह से वादी उक्त 0.618 है0 नहरी भूमि का मालिक एवं खातेदार हो चुका है और उक्त 0.618 है0 नहरी भूमि अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है और दावा ला पाने का अधिकारी है। आज से 2 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी सख्या 1 से सम्पर्क करके कहा कि वह वादगत भूमि मुझ वादी के नाम से दर्ज करवा देवे और उक्त भूमि को खुर्द बुर्द ना करे, तो प्रतिवादी सख्या 1 ने स्पष्ट इंकार करते हुये कहा कि मैं तो तुम्हे तुम्हारी भूमि नहीं दूंगा और तुम्हारी मालकाना एवं कब्जाशुदा उक्त भूमि को अन्यत्र बेचान करके खुर्द बुर्द करके रहूंगा और तुम्हे तुम्हारी भूमि से महरूम करके रहूंगा, यदि प्रतिवादी सख्या 1 अपने मक्सद में कामयाब हो जाता है, तो वादी अपनी मालकाना व कब्जा की भूमि से महरूम हो जायेगा, जिससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति का मूल्याकंन रूपयो में नहीं आंका जा सकता है, यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्बत् 2075 ता 2078 के खाता सख्या 53/51 के मु0नं0 1 के किला नं0 17/1 के 0.037 है0, किला नं0 17/2 के 0.037 है0, किला नं0 22 के 0.076 है0, किला नं0 23 के 0.202 है0, किला नं0 24 के 0.253 है0, किला नं0 25/1 के 0.013 है0, कुल 0.618 है0 नहरी भूमि का वादी को पंजीकृत वसीयत दिनांक 18.06.1981 की रूह से मालिक खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज उक्त भूमि का वसीयत इन्तकाल सख्या 184 दिनांक 19.07.2007 जो प्रारम्भतः शून्य वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है, को निरस्त फरमाया जाने के आदेश दिये जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तलवी के सम्मन गलत पता के कारण अदम तामील प्राप्त हुई। वादी अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय से निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की तलवी जरिए अखबार प्रकाशन से करवाए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की तलवी राजस्थान के दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाए जाने के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या की तलवी के अखबार की प्रति पेश की सामिल मिसल की गई। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने से जवाब स्टेट बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण पत्रावली में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। साक्ष्यवादी में गवाह कर्म सिंह उपस्थित आया। शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया। प्रदर्श–1 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 2066 के खाता संख्या 8/6 की प्रति, प्रदर्श–2ए पंजीकृत वसीयत दिनांक 06.03.1975 की प्रति, प्रदर्श–3 चक 2 एफ एफ के इन्तकाल संख्या 184 दिनांक 19.07.2007 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–3ए पंजीकृत वसीयत दिनांक 18.06.1981 की प्रति, प्रदर्श–4 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 18 की प्रति प्रदर्शित करवाए गए। जो सामिल मिसल है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र व दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा प्रदर्श–1 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 2066 के खाता संख्या 8/6 की प्रति, प्रदर्श–2ए पंजीकृत वसीयत दिनांक 06.03.1975 की प्रति, प्रदर्श–3 चक 2 एफ एफ के इन्तकाल संख्या 184 दिनांक 19.07.2007 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–3ए पंजीकृत वसीयत दिनांक 18.06.1981 की प्रति, प्रदर्श–4 चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 18 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा चक 2 एफ एफ के इन्तकाल संख्या 184 दिनांक 19.07.2007 को निरस्त करवाकर, पंजीकृत वसीयत (गंगा सिंह) दिनांक 18.06.1981 बहक कर्म सिंह पुत्र गंगा सिंह की रूह से चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 53/51 के मुरब्बा नम्बर 01 की कुल 0.618 हैक्टेयर भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

खातेदार घोषित किये जाने बाबत निवेदन किया है। एक वसीयत गंगा सिंह के द्वारा दिनांक 25.11.1979 बहक हरदेव सिंह के नाम की गई है, जिसका वाद तहसीलदार श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा बाद सुनवाई वसीयत आदेश क्रमांक 07/707 दिनांक 07.06.2007 पारित किया गया हैं। इसी आदेश के तहत चक 2 एफ एफ के इन्तकाल संख्या 184 दिनांक 19.07.2007 को तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा स्वीकृत किया गया। लिहाजा वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा स्वीकृत शुदा वसीयत इन्तकाल संख्या 184 दिनांक 19.07.2007 को खारिज किये जाने का है। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत शुदा वसीयत इन्तकाल के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर का है। न्यायालय हाजा का नहीं है। अतः वाद पत्र वादी, अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 16/08/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

कर्म सिंह बनाम हरदेव सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 188, 91, 92ए आरटीए

मुकदमा नम्बर **66/2021**

निर्णय दिनांक :- .08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक .08.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested